भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2810
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीआरडीए का कार्यकरण

2810. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में कतिपय जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) द्वारा निधियों के दुरुपयोग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) के कार्यकरण की समीक्षा का महाराष्ट्र सहित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश भर में डीआरडीए के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ड.) सरकार ने 01.04.2022 से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन योजना को बंद कर दिया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई करने के

अनुरोध के साथ सूचित कर दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई कि वे डीआरडीए को जिला परिषद/जिला पंचायतों के साथ या जहां ऐसी संस्थाएं मौजूद नहीं हैं, वहां जिला परिषदों या अन्य उपयुक्त जिला-स्तरीय निकायों के साथ विलय कर दें, जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय किया गया है।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर डीआरडीए में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में अवशोषित या वापस भेजा जा सकता है, जबकि डीआरडीए के सहायक कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त लाइन विभागों या जिला योजना और निगरानी निकायों में नियोजित किया जा सकता है। डीआरडीए प्रशासन योजना के तहत जारी निधियों के खातों का नियमानुसार लेखा परीक्षण किया जाना है और 31.03.2022 तक की शेष/अप्रयुक्त निधियों को संबंधित जिला पंचायतों/जिला परिषदों या अन्य नामित जिला-स्तरीय निकायों को अंतरित किया जाना है और उनका उचित रूप से लेखा-जोखा रखा जाना है।

डीआरडीए प्रशासन योजना के बंद होने के बाद से वित्त वर्ष 2022-23 से इस मंत्रालय द्वारा डीआरडीए को कोई अनुदान सहायता जारी नहीं की गई है। तदनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा डीआरडीए के कामकाज की निगरानी, समीक्षा या कामकाज में सुधार के लिए कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता है।

हालांकि, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किए जाने के अनुसार, संदर्भ अवधि के दौरान राज्य में डीआरडीए के संबंध में निधियों के दुरुपयोग या हेरफेर का कोई मामला सामने नहीं आया है। यह भी सूचित किया गया है कि डीआरडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा प्रशासनिक व्यय को वहन करने के लिए, इससे पूर्व डीआरडीए प्रशासन योजना को केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण के साथ कार्यान्वित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 01.04.2022 से इस योजना को बंद करने के निर्णय के अनुपालन में, महाराष्ट्र सरकार ने संस्थागत व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय, डीआरडीए प्रशासन योजना को 100% राज्य-वित्तपोषित योजना में परिवर्तित कर दिया है और इसे 01.04.2022 से 31.03.2027 तक पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त इनपुट अनुबंध में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध

लोकसभा अतारांकित प्रश्न 2810

डीआरडीए के कार्यकरण के संबंध में

बिंदु	**अनुपालन**
(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में कतिपय जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) द्वारा निधियों के दुरुपयोग पर ध्यान दिया है;	(क) महाराष्ट्र में डीआरडीए में निधियों के किसी भी दुरुपयोग का पता नहीं चला।
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;	(ख) प्रश्न नहीं उठता।
(ग) उक्त अवधि के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) के कार्यकरण की समीक्षा का महाराष्ट्र सहित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; (घ) क्या सरकार का देश भर में डीआरडीए के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और (ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?	(ग) (घ) और (ङ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) योजना अनुदान प्रदान किए गए थे। हालांकि, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 01.11.2021 के पत्र के अनुसार, महाराष्ट्र में 01.04.2022 से योजना को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। योजना को बंद करने के बजाय, दिनांक 01.04.2022 के सरकारी संकल्प के अनुसार राज्य सरकार ने इसे 100% राज्य योजना में परिवर्तित कर दिया और इसे अगले 5 वर्षों यानी 01.04.2022 से 31.03.2027 तक जारी रखा है।